

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014—श्रावण 3, शक 1936

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. एफ. 2(क)-11-2008-बी-3-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(क)-11-2008-बी-3-दो, दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यालय को स्पेशल टास्क फोर्स, थाना भोपाल के नाम से पुलिस थाना घोषित करती है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता, उग्रवादियों, आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों तथा संगठित अपराध संघ द्वारा की गई राष्ट्र विरोधी, विध्वंसकारी एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों से संबंधित अपराधों एवं राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए लोक महत्व के अन्य अर्थगर्भित प्रकरणों का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2014

क्र. एफ. 2(क)-11-2008-बी-3-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 2(क)-11-2008-बी-3-दो, दिनांक 25 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th July 2014

F-2(K)-11-2008-B-3-II.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in supersession of this Department's notification No. F. 2(k)-11-2008-B-3-II, dated 26th December, 2008, the State Government, hereby, declares the office of Inspector General of Police, Special Task Force, Madhya Pradesh, Bhopal to be a police station by the name of Special Task Force, Police Station, Bhopal having territorial jurisdiction over the whole of the State of Madhya Pradesh, for the purposes of investigation into the offences relating to antinational, disruptive and unlawful activities of extremist, terrorists, anti-social elements and organized crime syndicate and other cases of significant public importance entrusted by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

LAXMIKANT DWIVEDI, Dy. Secy.

633